

Recd  
20/3/18



## उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

दूरभाष : 0135 - 2675779, 2675780 ईमेल : [secy-uic@gov.com](mailto:secy-uic@gov.com) वैब: <http://uic.gov.in>  
पत्रांक : 2889 / उ.सू.आ. / 2016-17 दिनांक : 5.03.2018

सेवा में,

1. लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।

अपील संख्या-25332/2017 श्री मोबीन हसन बनाम लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून व अन्य में आयोग द्वारा पारित दिनांक 12/03/2018 के आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : यथोपरि

(शालिनी नैगी)

उप सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि : श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ भ्रष्टाचार निवारक समिति, जिला हरिद्वार, ग्राम तेलपुरा, पोस्ट औ0-बिहारीगढ़, तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित.

संलग्न : यथोपरि

उप सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

### आवश्यक सूचना-:

" समस्त लोक प्राधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी को सूचित किया जाता है कि आप द्वारा आयोग को भेजे जाने वाले पत्र में अपना नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर अवश्य अंकित करें, बिना नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, के आयोग को सम्बोधित पत्रों को आयोग द्वारा निरस्त किया जायेगा, जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी का स्वयं होगा। "

# उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून, उत्तराखण्ड

अपील संख्या : A(D) -25332 / 2017

अपील अंतर्गत धारा 19(3) सू.का अधि. अधिनियम, 2005

समक्ष : श्री राजेन्द्र कोटियाल, मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

अपीलकर्ता : श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ भ्रष्टाचार निवारक समिति, जिला हरिद्वार, ग्राम तेलपुरा, पोस्ट औ0-बिहारीगढ़, तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार।

## बनाम

- प्रतिवादी
1. लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
  2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।

## आदेश:

यह द्वितीय अपील श्री मोबीन हसन द्वारा लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. पुकार लगायी गयी।
3. पुकार पर अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री बसंत सिंह रावत उपस्थित हैं, उन्होंने लोक सूचना अधिकारी की आख्या प्रस्तुत की, जिसे पत्रावली एवं कार्यवाही का भाग बनाया गया।
4. इस द्वितीय अपील में दिनांक 08/05/2017 को अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी से 02 बिन्दुओं की सूचना चाही गयी थी, समय पर सूचना न मिलने के कारण उनके द्वारा दिनांक 18/07/2017 को प्रथम अपील दायर की गयी। दिनांक 14/09/2017 को अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया गया, ताकि प्रथम अपील का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके। सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी/प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी की आख्या के अनुसार अपीलार्थी की अपील का नियमानुसार निस्तारण किया गया। उनके अनुसार मुख्य मामला समाज कल्याण विभाग

*J. K. Jaiswal*

संख्या: 100 /XXV-12/2015 देहरादून: दिनांक 12 मार्च, 2018.

सेवा में,

सचिव,  
मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग  
सूचना का अधिकार भवन,  
लाडपुर रिंग रोड़ देहरादून।

विषय:- अपील संख्या-A (D)-25332/2017 की सुनवाई पर विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में उपस्थिति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपील संख्या-A (D)-25332/2017 पर सुनवाई हेतु अपने पृष्ठांकन संख्या-13166/उ.सू.आ./अपील/2017'18/(CIC) दिनांक 21.12.2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संदर्भ में निवेदन सहित अवगत कराना है कि, श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारण समिति जिला हरिद्वार के शिकायती पत्र दिनांक 22.02.2017 को कार्यालय पत्र संख्या-209 दिनांक 02 मार्च, 2017 को नियमानुसार निस्तारण हेतु जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को प्रेषित करते हुए प्रति आवेदक को भी सूचनार्थ प्रेषित की गई थी। (संलग्नक-1)

3- आवेदक के मा0 मुख्य सूचना आयुक्त को प्रस्तुत अपील दिनांक 29.08.2017 के क्रम में शिकायत संख्या-12439/18(1) पर मा0 आयोग के आदेश संख्या-9963 /शि.स./12439/उ.सू.आ./2017 दिनांक 14 सितम्बर, 2017 में मा0 आयोग के निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्र संख्या-2375 दिनांक 19 सितम्बर, 2017 (संलग्नक-2) के द्वारा श्री मोबीन हसन को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे अपील पर सुनवाई हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था, किन्तु अपीलार्थी उक्त नियत तिथि, समय एवं स्थान पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

4- अपील पर सुनवाई का एक और अवसर प्रदान करते हुए अपीलार्थी को पुनः कार्यालय पत्र संख्या-2454 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 (संलग्नक-3) के द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे अपील पर सुनवाई हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किन्तु अपीलार्थी उक्त तिथि पर भी अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

5- उक्तानुसार दो बार अपील पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी अपीलार्थी के अपील की सुनवाई पर उपस्थित न होने के कारण कार्यालय आदेश संख्या-2541 दिनांक 31.10.2017 (संलग्नक-4) के द्वारा उक्त अपील का नियमानुसार निस्तारण किया गया।

6- उक्त के संबंध में निवेदन सहित यह भी अवगत कराना है कि, संबंधित प्रकरण समाज कल्याण विभाग से संबंधित है जिसे इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02 मार्च, 2017 के क्रम में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार द्वारा नियमानुसार निस्तारण हेतु समाज कल्याण विभाग को संदर्भित कर लिया गया था, जिस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार द्वारा वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया गया। (संलग्नक-5)


7- महोदय चूंकि प्रकरण समाज कल्याण विभाग से संबंधित है इस लिए इस प्रकरण पर संबंधित विभाग को ही अपेक्षित प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश निर्गत करते हुए अपील का निस्तारण करने की कृपा की जाय।

8- निवेदन सहित यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 12 मार्च, 2018 को उत्तराखण्ड राज्य से राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन की प्रक्रिया में व्यस्तता के कारण उक्त अपील की

सुनवाई पर मैं मा0 आयोग के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ हूँ इसलिए विभागीय अपीलीय अधिकारी की ओर से मा0 आयोग के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री बंसत सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी को ही अधिकृत किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,



( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
(प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी)  
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

पृ0 संख्या-400 /XXV-12/2015 , तददिनांकित

1- प्रतिलिपि श्री बी0एस0 रावत, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु मा0 आयोग में उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से भी पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।



( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
(प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी)  
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

द्वितीय अपील की सुनवाई के समय विभागीय अपीलीय अधिकारी आवेदक के द्वितीय अपीलीय पत्र में की गई आपत्तियों के साथ-साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना लिखित अभिकथन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(प्रारूप- "ख")

01	प्रथम अपील/विभागीय अपील पत्र विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्राप्त होने की दिनांक	15-09-2017
02	प्रथम अपील/विभागीय अपीलीय पत्र पर सुनवाई हेतु नियत की गई सुनवाई की तिथि	09-10-2017 एवं 26-10-2017
03	लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलकर्ता को सुनवाई का नोटिस प्रेषित किए जाने का पत्रांक व दिनांक	19-09-2017 एवं 12-10-2017
04	सुनवाई का नोटिस प्रेषित किए जाने का माध्यम	पंजीकृत डाक द्वारा रसीद संलग्न
05	प्रथम अपील/विभागीय अपील के आदेश के घोषित होने की दिनांक तथा अपीलार्थी और लोक सूचना अधिकारी को आदेश प्रेषित करने की दिनांक	31-10-2017 कार्यालय पत्रांक 2541 दिनांक 31-10-2017
06	यदि प्रथम अपील का निस्तारण नहीं किया गया है या विलम्ब से किया गया है तब प्रथम अपील का निस्तारण न करने या विलम्ब से करने का औचित्यपूर्ण कारण	-
07	प्रथम अपीलीय पत्र प्राप्त होने की तिथि से आयोग में द्वितीय सुनवाई के मध्य यदि विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है तब संबंधित विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, कब से कब तक विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया गया, वर्तमान में किस पद व स्थान पर कार्यरत है।	नहीं

विभागीय अपीलीय अधिकारी के हस्ताक्षर .....

नाम. मस्तू दास

पदनाम सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
पूर्ण पता कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,  
विश्वकर्मा भवन प्रथम तल सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड  
दूरभाष/फैक्स न0/मो0न0 0135-2713551

ई-मेल आई. **election@09**

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
विश्वकर्मा भवन, प्रथमतल, 4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001  
Email ID- ceo\_uttaranchal@eci.gov.in फोन न० (0135) - 2713760, 2713551  
फैक्स न० (0135) - 2713724

संख्या: 399 /XXV-12/2015 देहरादून: दिनांक 12 मार्च, 2018.

सेवा में,

सचिव,  
मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग  
सूचना का अधिकार भवन,  
लाडपुर रिंग रोड़ देहरादून।

विषय:- अपील संख्या-A (D)-25332/2017 की सुनवाई पर विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में उपस्थिति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपील संख्या-A (D)-25332/2017 पर सुचनवाई हेतु अपने पृष्ठांकन संख्या-13166/उ.सू.आ./अपील/2017'18/(CIC) दिनांक 21.12.2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संदर्भ में निवेदन सहित अवगत कराना है कि, श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारण समिति जिला हरिद्वार के शिकायती पत्र दिनांक 22.02.2017 को कार्यालय पत्र संख्या-209 दिनांक 02 मार्च, 2017 को नियमानुसार निस्तारण हेतु जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को प्रेषित करते हुए प्रति आवेदक को भी सूचनार्थ प्रेषित की गई थी। (संलग्नक-1)

3- आवेदक के मा0 मुख्य सूचना आयुक्त को प्रस्तुत अपील दिनांक 29.08.2017 के क्रम में शिकायत संख्या-12439/18(1) पर मा0 आयोग के आदेश संख्या-9963 /शि.स. /12439/उ.सू.आ./2017 दिनांक 14 सितम्बर, 2017 में मा0 आयोग के निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्र संख्या-2375 दिनांक 19 सितम्बर, 2017 (संलग्नक-2) के द्वारा श्री मोबीन हसन की अपील पर सुनवाई हेतु पूर्वान्ह 11:00 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था, जिसमें अधोहस्ताक्षरी को विभागीय पक्ष प्रस्तुत किया जाना था, किन्तु अपीलार्थी उक्त नियत तिथि, समय एवं स्थान पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

4- अपील पर सुनवाई का एक और अवसर प्रदान करते हुए अपीलार्थी को पुनः कार्यालय पत्र संख्या-2454 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 (संलग्नक-3) के द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे अपील पर सुनवाई हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किन्तु अपीलार्थी उक्त तिथि पर भी अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।


5- उक्तानुसार दो बार अपील पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी अपीलार्थी के अपील की सुनवाई पर उपस्थित न होने के कारण कार्यालय आदेश संख्या-2541 दिनांक 31.10.2017 (संलग्नक-4) के द्वारा उक्त अपील का नियमानुसार निस्तारण किया गया।

6- उक्त के संबंध में निवेदन सहित यह भी अवगत कराना है कि, संबंधित प्रकरण समाज कल्याण विभाग से संबंधित है जिसे इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02 मार्च, 2017 के क्रम में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार द्वारा नियमानुसार निस्तारण हेतु समाज कल्याण विभाग को संदर्भित कर लिया गया था, जिस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार द्वारा वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया गया। (संलग्नक-5)

7- महोदय चूंकि प्रकरण समाज कल्याण विभाग से संबंधित है इस लिए इस प्रकरण पर संबंधित विभाग को ही अपेक्षित प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश निर्गत करते हुए अपील का निस्तारण करने की कृपा की जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

  
(बसन्त सिंह रावत)

अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी  
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

द्वितीय अपील की सुनवाई के समय लोक सूचना अधिकारी आवेदक के द्वितीय अपीलीय पत्र में की गई आपत्तियों के साथ-साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना लिखित अभिकथन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(प्रारूप- "क")

01	सूचना के लिए अनुरोधकर्ता का अनुरोध पत्र उनके कार्यालय को प्राप्त होने की दिनांक	अप्राप्त
02	लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर धारित पंजिका का क्रमांक जिस स्थान पर पंजीकृत किया गया है	अप्राप्त
03	मांगी गयी सूचनाओं के कुल बिन्दुओं की संख्या	-
04	यदि मांगी गयी सूचना से संबंधित अनुरोध पत्र अंतरित होकर प्राप्त हुआ है तब- (क) अंतरितकर्ता का नाम, पदनाम, पूर्ण पता (ख) अंतरित बिन्दु (ग) पत्रांक व दिनांक जिसके माध्यम से अनुरोध पत्र अंतरित किया गया है।	-
05	यदि अनुरोध पत्र के माध्यम से मांगी गयी सूचना किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी से संबंधित है तब- (क) संबंधित बिन्दु जिसे अंतरित किया गया है (ख) जिस लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया गया का नाम, पदनाम, व पूर्ण पता (ग) जिस पत्रांक व दिनांक के माध्यम से अनुरोध पत्र अंतरित किया गया (घ) पत्र जिस माध्यम से प्रेषित किया गया तथा पत्र डाक/दस्ती/अन्य माध्यम से प्रेषित करने की दिनांक	-
06	यदि मांगी गयी सूचना हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क मांगा गया है तब- (क) अतिरिक्त शुल्क की मांग जिस पत्र संख्या व दिनांक के माध्यम से की गई (ख) कुल मांगी गयी धनराशि (ग) अतिरिक्त शुल्क का मांग पत्र जिस माध्यम से प्रेषित किया गया (घ) अतिरिक्त शुल्क के प्राप्ति की तिथि व धनराशि (ङ) अतिरिक्त शुल्क मांगने में यदि विलम्ब हुआ है तब विलम्ब का औचित्यपूर्ण कारण	-
07	यदि मांगी गयी सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है अथवा किसी की निजी सूचना है तब- (क) तृतीय पत्र को अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रेषित पत्रांक व दिनांक	-



	(ख) तृतीय पत्र का प्रतिउत्तर प्राप्त होने की तिथि (ग) लोक सूचना अधिकारी द्वारा तृतीय पक्ष को अपने निर्णय से अवगत कराए जाने संबंधी पत्रांक व दिनांक का विवरण	
8	आवेदन को सूचना प्रेषित किए जाने की दिनांक, पत्र जिस माध्यम सेक आवेदक को प्रेषित किया गया है।	—
9	आवेदक जिसके द्वारा सूचना मांगी गयी है को 30 दिन के अन्दर यदि सूचना प्रेषित नहीं की गयी है तब प्रेषित न किए जाने का औचित्यपूर्ण कारण	—
10	आवेदन प्राप्त होने की तिथि से आयोग में द्वितीय सुनवाई के मध्य यदि लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है तब संबंधित लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम, कब से कब तक लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया गया, वर्तमान में किस पद व स्थान पर कार्यरत है।	नहीं

लोक सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर ..... B. S. Rawat  
नाम. बसन्त सिंह रावत  
पदनाम अनुभाग अधिकारी  
पूर्ण पता कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,  
विश्वकर्मा भवन प्रथम तल सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड  
दूरभाष/फैक्स न0/मो0न0 0135-2713724  
ई-मेल आई. **election@09**

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

Email ID- ceo\_uttaranchal@eci.gov.in

फोन न० (0135) - 2712055, 271355  
फैक्स न० (0135) - 2713724, 2712014

संख्या 209 /XXV-23(Part-2)/2017 देहरादून:

दिनांक 02 मार्च, 2017.

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
हरिद्वार।

विषय:- आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी अनुदान आवेदन के प्रकरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारक समिति जिला हरिद्वार, निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट ओ० बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार के पत्रांक भ०नि०स०/5/17 दिनांक 22 फरवरी, 2017 की (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संदर्भित प्रकरण पर अपने स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

पृ० संख्या-209/XXV-23(Part-2)/2017 , तद्दिनांकित

प्रतिलिपि श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारक समिति जिला हरिद्वार, निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट ओ० बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार को उनके उक्त वर्णित शिकायती पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

कार्यलय:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून 20-09-2017

क्र० स०	नाम	जनपद	बार कोड	भार	धनराशि
1	श्रीमती आशा देवी	गोपेश्वर	EV523706651IN		
2	सचिव राज्य निर्वाचन आयोग	देहरादून	EV523706679IN		
3	श्री वी०एस० दुबे अधिवक्ता	दिल्ली	EV523706784IN		
4	आयकर उप निदेशक (जांच)	ऊधमसिंहनगर	EV523706665IN		
5	श्री भूषण सिंह रावत	हरिद्वार	EV523706550IN		
6	श्री मनमोहन सिंह	देहरादून	EV523706798IN		
7	श्री मोबीन हसन जिलाध्यक्ष	हरिद्वार	EV523706546IN		
8	सचिव, उत्तराखण्ड	देहरादून	EV523706775IN		
9	श्री जीवन राम	चम्पावत	EV523703006IN		
10	साईबर ट्रेजरी	देहरादून	EV523702990IN		
11	श्री रिखब सी जैन	दिल्ली	EV523706648IN		
12	महालेखाकार	देहरादून	EV523703125IN		

*(Handwritten signature and initials)*



कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

4 - सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

Email ID- ceo\_uttaranchal@eci.gov.in

फोन नं० (0135) - 2712055, 271355

फैक्स नं० (0135) - 2713724, 2712014

संख्या 2375 /XXV-12/2015

देहरादून:

दिनांक 19 सितम्बर, 2017.

सेवा में,

श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष,  
श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारक समिति जिला हरिद्वार,  
निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट ओ० बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार।

**विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आदेश संख्या- 9963/शि०सं०: 12439/उ०सू०आ०/2017 दिनांक 14-09-2017 जो आपको पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त क्रम में अवगत कराना है कि आपके पत्रांक: अ०नि०स०/5/17 दिनांक 22-2-17 जो इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था, को कार्यालय पत्र संख्या-209/XXV-23 (Part-2)/2017 दिनांक 02 मार्च, 2017 (जिसकी छाया प्रति संलग्न है) द्वारा जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।


2- उक्त के अतिरिक्त आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने संबंधी आवेदन एवं प्रथम विभागीय अपील इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण इसका निस्तारण नहीं किया जा सका।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आदेश के क्रम में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः उक्त निर्धारित तिथि को समय 11.00 बजे पूर्वान्ह अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर योजना भवन, प्रथम तल स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हो तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

**संलग्न-यथोपरि**

भवदीय,

  
( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड

पृ० संख्या-2375/XXV-12/2015 , तददिनांकित

1-प्रतिलिपि सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून को उनके उक्त वर्णित आदेश के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रतिलिपि श्री बी०एस० रावत, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

  
( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड

कार्यलय:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून 13-10-2017

क्र० स०	नाम	जनपद	बार कोड	भार	धनराशि
1	सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग	देहरादून	EV523703743IN		
2	श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ	हरिद्वार	EV523703876IN		
3	श्री के सुरेश कुमार उप सचिव (वित्त)	दिल्ली	EV523703615IN		

4 दीपक लैम्बाल

दे० द०


EV523703624IN

5 रमेश पवार

दे० द०

EV523703859IN

SPEED POST-BNPI  
DD# 10-208





कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

Email ID- ceo\_uttaranchal@eci.gov.in

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2713724, 2712014

संख्या 2454 /XXV-12/2015

देहरादून:

दिनांक 12 अक्टूबर, 2017.

सेवा में,

श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष,  
श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारक समिति जिला हरिद्वार,  
निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट ओ० बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार।


विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-2375 दिनांक 19 सितम्बर, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आपकी अपील पर सुनवाई दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को निर्धारित की गयी थी, परन्तु आप उक्त अपील की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।

संबंधित अपील की सुनवाई हेतु दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को पुनः तिथि निर्धारित की गयी है। अतः उक्त निर्धारित तिथि को समय 11.00 बजे पूर्वान्ह अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर योजना भवन, प्रथम तल स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हो तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

भवदीय,  



( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड। 


पृ० संख्या-2454/XXV-12/2015 , तददिनांकित

1-प्रतिलिपि सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून को उनके उक्त वर्णित आदेश के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रतिलिपि श्री बी०एस० रावत, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।



( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड। 

कार्यालय अपीलीय अधिकारी सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
कार्यालय, देहरादून।

अपील संख्या- 04/2017

अपीलकर्ता- श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारक समिति जिला हरिद्वार निवासी  
ग्राम तेलपुरा, पोस्ट ओ0बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार।

/बनाम

उत्तरदाता:- लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय सचिवालय परिसर, देहरादून।

आदेश

सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून के आदेश संख्या- 9963/  
शि0रा0:12439/उ0सू0आ0/2017 दिनांक 14-09-2017 के क्रम में अपीलकर्ता श्री मोबीन हसन,  
जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारक समिति जिला हरिद्वार निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट  
ओ0बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार को कार्यालय पत्र संख्या- 2375 दिनांक 19 सितम्बर, 2017 के माध्यम से  
सूचित करते हुए दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को पूर्वान्ह: 11.00 बजे सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अनुरोध  
किया गया था, किन्तु अपीलकर्ता सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए। साथ ही कार्यालय पत्र  
संख्या- 2454 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 के माध्यम से पुनः दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को पूर्वान्ह: 11.00  
बजे सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था परन्तु उक्त तिथियों में आप कार्यालय में  
उपस्थिति नहीं हुए।

यदि आप सहमत हों तो किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार संबंधित अपील का निस्तारण किया जाता है।

  
(मस्तू दास)


सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं  
विभागीय अपीलीय अधिकारी 01C

दिनांक - 31/10/17

पू0संख्या 254) /XXV-12/2015, तददिनांक।

1- प्रतिलिपि सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून के आदेश संख्या-  
9963/शि0रा0:12439/उ0सू0आ0/2017 दिनांक 14-09-2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2- प्रतिलिपि श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारक समिति जिला हरिद्वार  
निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट ओ0बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार।

  
(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं  
विभागीय अपीलीय अधिकारी 01C

कार्यलय:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून 03-11-2017

क्र० स०	नाम	जनपद	बार कोड	भार	धनराशि
1	श्री मोबीन हसन	हरिद्वार	EV523705205IN		
2	सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग	देहरादून	EV523705214IN		

SPEEL POST-BNPL  
DD-10-208





प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
हरिद्वार।

सेवा में,

जिला निर्वाचन अधिकारी,  
हरिद्वार।

पत्रांक 2123-24/स0क0/छात्रवृत्ति/2017-18 दिनोंक 19/9/2017  
विषय:- जनपद हरिद्वार में ऑनलाईन छात्रवृत्ति की वेबसाइट खुलने विषयक।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी-नैनीताल के आपको पृष्ठांकित पत्रांक संख्या 4681 दिनोंक 23-02-17 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा श्री मोबीन हसन, निवासी ग्राम तेलीपुरा पो0 बिहारीगढ हरिद्वार द्वारा निर्वाचन के कारण जनपद हरिद्वार में छात्रवृत्ति की ऑनलाईन वेबसाइट में तकनीकी कारणों से आवेदन अपलोड नहीं होने तथा निर्वाचन के दौरान आचार संहिता प्रभावी होने के कारण छात्रवृत्ति वेबसाइट नहीं खुलने का उल्लेख किया गया था। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन/निदेशालय द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑनलाईन भरे जाने हेतु छात्रवृत्ति की वेबसाइट वेबसाइट दिनोंक 24-03-2017 से 26-03-2017 तक खोली गई थी। उक्त तिथियों को वेबसाइट खोले जाने की सूचना कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति के माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी गई है।

अतः सूचना आपकी सेवा में प्रेषित है।

भवदीय

(दीपसज्ज अग्निहोत्री)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
हरिद्वार।

पृष्ठांकन संख्या / तददिनोंकित।

प्रतिलिपि:- श्री मोबीन हसन, निवासी ग्राम तेलीपुरा पो0 बिहारीगढ हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
हरिद्वार।

कडाप

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005  
की धारा (6) (1) के अर्न्तगत आवेदन

1. आवेदक का पूरा नाम ..... मोबीन हसन डा. श्री. नूर हसन
2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जानी है ..... डा. तेलपुरा पो. बिहरीगढ़
3. दूरभाष क्रमांक/मोबाईल नम्बर ..... त. भगवानपुर जि. हरिद्वार  
9458122517
4. आवेदन देने का दिनांक ..... 8-5-17
5. कार्यालय का नाम ..... राज्य निवर्तन आयोग
6. चाही गई जानकारी का विवरण : मूलतः आवेदन संलग्न है (अलग से सादे कागज पर चाही गई जानकारी का विवरण लिखकर इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत कर दें )
7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना  
..... रिकार्ड की प्रमाणित प्रति
8. आवेदन के साथ अदा किया जाने वाला प्रोसेस फी-रूडकी 10/- नगद/-स्टाम्प (बी पी एल सूची सदस्य को देय नहीं) रसीद क्र. एवं दिनांक ..... 33 F - 760481 पोस्टल डाइर
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा से नीचे है अथवा नहीं-हां/नहीं यदि हां तो बी. पी. एल. सूची का अनुक्रमांक ..... X

मोबीन हसन  
हस्ताक्षर (आवेदनकर्ता)

टीप - यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रूपये 10 का स्टाम्प चस्पा करते हुए रजिस्टर्ड पी.सी./डाक व्यय सहित स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा साथ में संलग्न करें। (बी.पी.एल. सूची के सदस्य को डाक व्यय देय नहीं)

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक
3. संबन्धित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

1.	12.02.2017	निर्वाचन	विधान सभा काकाय-यु निर्वाचन 2017 में आठवीं आचार्य लक्ष्मी के क्षेत्र प्रान्त शिक्षावती पत्र के संदर्भ में	सूचना उपलब्ध करा दी गयी थी। (पत्र संख्या 727 दिनांक 01.2.17)	स्वीकृत	29.3.17	29.3.17
2.	21.02.2017	निर्वाचन	विधान सभा काकाय-यु निर्वाचन 2017 में आठवीं आचार्य लक्ष्मी के क्षेत्र प्रान्त शिक्षावती पत्र के संदर्भ में	सूचना उपलब्ध करा दी गयी थी। (पत्र संख्या 1280 दिनांक 23.2.17)	स्वीकृत	29.3.17	29.3.17
3.	19.04.2017	निर्वाचन	विधान सभा काकाय-यु निर्वाचन 2017 के क्षेत्र प्रशासकीय आदेश के संदर्भ में	सूचना उपलब्ध करा दी गयी थी। (पत्र संख्या 1720 दिनांक 21.4.17)	स्वीकृत	18.5.17	18.05.17
4.	07/09/2017	निर्वाचन	निर्वाचन कार्य पहचान पत्र के संदर्भ में।	सूचना हेतु मापदंड पत्र संख्या 2322 दिनांक 11 Sep 2017 6/17 का निर्वाचन अधिकारी DDO देहाडको प्रेषित	—	—	11 Sep 2017
05	19/9/2017	निर्वाचन	आचार्य लक्ष्मी के क्षेत्र प्रान्त सरकार द्वारा आचार्य लक्ष्मी के क्षेत्र प्रान्त शिक्षावती पत्र के संदर्भ में	सूचना उपलब्ध करा दी गयी थी। (पत्र संख्या 2375 दिनांक 19/9/17)	स्वीकृत	9/10/17	9/10/17

संख्या: 400 /XXV-12/2015 देहरादून: दिनांक 12 मार्च, 2018.

सेवा में,

सचिव,  
मा० उत्तराखण्ड सूचना आयोग  
सूचना का अधिकार भवन,  
लाडपुर रिंग रोड़ देहरादून।

विषय:- अपील संख्या-A (D)-25332/2017 की सुनवाई पर विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में उपस्थिति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपील संख्या-A (D)-25332/2017 पर सुनवाई हेतु अपने पृष्ठांकन संख्या-13166/उ.सू.आ./अपील/2017'18/(CIC) दिनांक 21.12.2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संदर्भ में निवेदन सहित अवगत कराना है कि, श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारण समिति जिला हरिद्वार के शिकायती पत्र दिनांक 22.02.2017 को कार्यालय पत्र संख्या-209 दिनांक 02 मार्च, 2017 को नियमानुसार निस्तारण हेतु जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को प्रेषित करते हुए प्रति आवेदक को भी सूचनार्थ प्रेषित की गई थी। (संलग्नक-1)

3- आवेदक के मा० मुख्य सूचना आयुक्त को प्रस्तुत अपील दिनांक 29.08.2017 के क्रम में शिकायत संख्या-12439/18(1) पर मा० आयोग के आदेश संख्या-9963 /शि.स./12439/उ.सू.आ./2017 दिनांक 14 सितम्बर, 2017 में मा० आयोग के निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्र संख्या-2375 दिनांक 19 सितम्बर, 2017 (संलग्नक-2) के द्वारा श्री मोबीन हसन को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे अपील पर सुनवाई हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था, किन्तु अपीलार्थी उक्त नियत तिथि, समय एवं स्थान पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

4- अपील पर सुनवाई का एक और अवसर प्रदान करते हुए अपीलार्थी को पुनः कार्यालय पत्र संख्या-2454 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 (संलग्नक-3) के द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे अपील पर सुनवाई हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किन्तु अपीलार्थी उक्त तिथि पर भी अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

5- उक्तानुसार दो बार अपील पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी अपीलार्थी के अपील की सुनवाई पर उपस्थित न होने के कारण कार्यालय आदेश संख्या-2541 दिनांक 31.10.2017 (संलग्नक-4) के द्वारा उक्त अपील का नियमानुसार निस्तारण किया गया।

6- उक्त के संबंध में निवेदन सहित यह भी अवगत कराना है कि, संबंधित प्रकरण समाज कल्याण विभाग से संबंधित है जिसे इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02 मार्च, 2017 के क्रम में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार द्वारा नियमानुसार निस्तारण हेतु समाज कल्याण विभाग को संदर्भित कर लिया गया था, जिस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार द्वारा वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया गया। (संलग्नक-5)

7- महोदय चूंकि प्रकरण समाज कल्याण विभाग से संबंधित है इस लिए इस प्रकरण पर संबंधित विभाग को ही अपेक्षित प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश निर्गत करते हुए अपील का निस्तारण करने की कृपा की जाय।

8- निवेदन सहित यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 12 मार्च, 2018 को उत्तराखण्ड राज्य से राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन की प्रक्रिया में व्यस्तता के कारण उक्त अपील की

सुनवाई पर मैं मा0 आयोग के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ हूँ इसलिए विभागीय अपीलीय अधिकारी की ओर से मा0 आयोग के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री बंसत सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी को ही अधिकृत किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,



( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
(प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी)  
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

पृ0 संख्या- /XXV-12/2015 , तददिनांकित

1- प्रतिलिपि श्री बी0एस0 रावत, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु मा0 आयोग में उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से भी पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।



( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
(प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी)  
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

द्वितीय अपील की सुनवाई के समय विभागीय अपीलीय अधिकारी आवेदक के द्वितीय अपीलीय पत्र में की गई आपत्तियों के साथ-साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना लिखित अभिकथन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(प्रारूप- "ख")

01	प्रथम अपील/विभागीय अपील पत्र विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्राप्त होने की दिनांक	15-09-2017
02	प्रथम अपील/विभागीय अपीलीय पत्र पर सुनवाई हेतु नियत की गई सुनवाई की तिथि	09-10-2017 एवं 26-10-2017
03	लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलकर्ता को सुनवाई का नोटिस प्रेषित किए जाने का पत्रांक व दिनांक	19-09-2017 एवं 12-10-2017
04	सुनवाई का नोटिस प्रेषित किए जाने का माध्यम	पंजीकृत डाक द्वारा रसीद संलग्न
05	प्रथम अपील/विभागीय अपील के आदेश के घोषित होने की दिनांक तथा अपीलार्थी और लोक सूचना अधिकारी को आदेश प्रेषित करने की दिनांक	31-10-2017 कार्यालय पत्रांक 2541 दिनांक 31-10-2017
06	यदि प्रथम अपील का निस्तारण नहीं किया गया है या विलम्ब से किया गया है तब प्रथम अपील का निस्तारण न करने या विलम्ब से करने का औचित्यपूर्ण कारण	-
07	प्रथम अपीलीय पत्र प्राप्त होने की तिथि से आयोग में द्वितीय सुनवाई के मध्य यदि विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है तब संबंधित विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, कब से कब तक विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया गया, वर्तमान में किस पद व स्थान पर कार्यरत है।	नहीं

विभागीय अपीलीय अधिकारी के हस्ताक्षर .....

नाम. मस्तू दास

पदनाम सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

पूर्ण पता कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,

विश्वकर्मा भवन प्रथम तल सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड

दूरभाष/फैक्स न०/मो०न० 0135-2713551

ई-मेल आई. **election@09**

सेवा में,

सचिव,  
मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग  
सूचना का अधिकार भवन,  
लाडपुर रिंग रोड़ देहरादून।

विषय:- अपील संख्या-A (D)-25332/2017 की सुनवाई पर विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में उपस्थिति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपील संख्या-A (D)-25332/2017 पर सुचनवाई हेतु अपने पृष्ठांकन संख्या-13166/उ.सू.आ./अपील/2017'18/(CIC) दिनांक 21.12.2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संदर्भ में निवेदन सहित अवगत कराना है कि, श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारण समिति जिला हरिद्वार के शिकायती पत्र दिनांक 22.02.2017 को कार्यालय पत्र संख्या-209 दिनांक 02 मार्च, 2017 को नियमानुसार निस्तारण हेतु जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को प्रेषित करते हुए प्रति आवेदक को भी सूचनार्थ प्रेषित की गई थी। (संलग्नक-1)

3- आवेदक के मा0 मुख्य सूचना आयुक्त को प्रस्तुत अपील दिनांक 29.08.2017 के क्रम में शिकायत संख्या-12439/18(1) पर मा0 आयोग के आदेश संख्या-9963 /शि.स. /12439/उ.सू.आ./2017 दिनांक 14 सितम्बर, 2017 में मा0 आयोग के निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्र संख्या-2375 दिनांक 19 सितम्बर, 2017 (संलग्नक-2) के द्वारा श्री मोबीन हसन की अपील पर सुनवाई हेतु पूर्वान्ह 11:00 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था, जिसमें अधोहस्ताक्षरी को विभागीय पक्ष प्रस्तुत किया जाना था, किन्तु अपीलार्थी उक्त नियत तिथि, समय एवं स्थान पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

4- अपील पर सुनवाई का एक और अवसर प्रदान करते हुए अपीलार्थी को पुनः कार्यालय पत्र संख्या-2454 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 (संलग्नक-3) के द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे अपील पर सुनवाई हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किन्तु अपीलार्थी उक्त तिथि पर भी अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।


5- उक्तानुसार दो बार अपील पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी अपीलार्थी के अपील की सुनवाई पर उपस्थित न होने के कारण कार्यालय आदेश संख्या-2541 दिनांक 31.10.2017 (संलग्नक-4) के द्वारा उक्त अपील का नियमानुसार निस्तारण किया गया।

6- उक्त के संबंध में निवेदन सहित यह भी अवगत कराना है कि, संबंधित प्रकरण समाज कल्याण विभाग से संबंधित है जिसे इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02 मार्च, 2017 के क्रम में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार द्वारा नियमानुसार निस्तारण हेतु समाज कल्याण विभाग को संदर्भित कर लिया गया था, जिस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार द्वारा वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया गया। (संलग्नक-5)

7- महोदय चूंकि प्रकरण समाज कल्याण विभाग से संबंधित है इस लिए इस प्रकरण पर संबंधित विभाग को ही अपेक्षित प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश निर्गत करते हुए अपील का निस्तारण करने की कृपा की जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

  
(बसन्त सिंह रावत)

अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी  
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।



द्वितीय अपील की सुनवाई के समय लोक सूचना अधिकारी आवेदक के द्वितीय अपीलीय पत्र में की गई आपत्तियों के साथ-साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना लिखित अभिकथन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(प्रारूप- "क")

01	सूचना के लिए अनुरोधकर्ता का अनुरोध पत्र उनके कार्यालय को प्राप्त होने की दिनांक	अप्राप्त
02	लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर धारित पंजिका का क्रमांक जिस स्थान पर पंजीकृत किया गया है	अप्राप्त
03	मांगी गयी सूचनाओं के कुल बिन्दुओं की संख्या	—
04	यदि मांगी गयी सूचना से संबंधित अनुरोध पत्र अंतरित होकर प्राप्त हुआ है तब— (क) अंतरितकर्ता का नाम, पदनाम, पूर्ण पता (ख) अंतरित बिन्दु (ग) पत्रांक व दिनांक जिसके माध्यम से अनुरोध पत्र अंतरित किया गया है।	—
05	यदि अनुरोध पत्र के माध्यम से मांगी गयी सूचना किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी से संबंधित है तब— (क) संबंधित बिन्दु जिसे अंतरित किया गया है (ख) जिस लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया गया का नाम, पदनाम, व पूर्ण पता (ग) जिस पत्रांक व दिनांक के माध्यम से अनुरोध पत्र अंतरित किया गया (घ) पत्र जिस माध्यम से प्रेषित किया गया तथा पत्र डाक/दस्ती/अन्य माध्यम से प्रेषित करने की दिनांक	—
06	यदि मांगी गयी सूचना हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क मांगा गया है तब— (क) अतिरिक्त शुल्क की मांग जिस पत्र संख्या व दिनांक के माध्यम से की गई (ख) कुल मांगी गयी धनराशि (ग) अतिरिक्त शुल्क का मांग पत्र जिस माध्यम से प्रेषित किया गया (घ) अतिरिक्त शुल्क के प्राप्ति की तिथि व धनराशि (ङ) अतिरिक्त शुल्क मांगने में यदि विलम्ब हुआ है तब विलम्ब का औचित्यपूर्ण कारण	—
07	यदि मांगी गयी सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है अथवा किसी की निजी सूचना है तब— (क) तृतीय पत्र को अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रेषित पत्रांक व दिनांक	—

	(ख) तृतीय पत्र का प्रतिउत्तर प्राप्त होने की तिथि (ग) लोक सूचना अधिकारी द्वारा तृतीय पक्ष को अपने निर्णय से अवगत कराए जाने संबंधी पत्रांक व दिनांक का विवरण	
8	आवेदन को सूचना प्रेषित किए जाने की दिनांक, पत्र जिस माध्यम सेक आवेदक को प्रेषित किया गया है।	—
9	आवेदक जिसके द्वारा सूचना मांगी गयी है को 30 दिन के अन्दर यदि सूचना प्रेषित नही की गयी है तब प्रेषित न किए जाने का औचित्यपूर्ण कारण	—
10	आवेदन प्राप्त होने की तिथि से आयोग में द्वितीय सुनवाई के मध्य यदि लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है तब संबंधित लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम, कब से कब तक लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया गया, वर्तमान में किस पद व स्थान पर कार्यरत है।	नही

लोक सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर



नाम. बसन्त सिंह रावत

पदनाम अनुभाग अधिकारी

पूर्ण पता कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,  
विश्वकर्मा भवन प्रथम तल सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड

दूरभाष/फैक्स न०/मो०न० 0135-2713724

ई-मेल आई. **election@09**



पत्र - 15/9/2017

## उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

शिकायत संख्या: 12439/18(1)

शिकायत कर्ता: श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार, निवारक समिति, जिला हरिद्वार, निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट औ0-बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार

### बनाम

प्रतिपक्षी: विभागीय अपीलीय अधिकारी/ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.

### आदेश

श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार, निवारक समिति, जिला हरिद्वार, निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट औ0-बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार द्वारा आयोग को अपना पत्र दिनांक 29.08.2017 प्रस्तुत किया है.

2. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उक्त शिकायत का परीक्षण किया गया एवं परीक्षणोपरान्त पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत सक्षम विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम विभागीय अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है/ ऐसी विभागीय अपील प्रस्तुत करने के पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
3. उक्त शिकायती पत्र को मूल रूप में संलग्नकों सहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वह अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत विभागीय अपील के रूप में इसे शासनादेश संख्या 146 दिनांक 22 मार्च 2006 के अनुसंलग्नक 3 में विभागीय अपीलीय अधिकारियों से संबंधित पंजिका में पंजीकृत कर इसकी नियमानुसार सुनवाई करते हुये इसका समयबद्ध निस्तारण करें तथा ऐसे निस्तारण का प्रमाण आयोग को भी निस्तारण के एक सप्ताह के अंदर प्रेषित करें।
4. इस आदेश की प्रति शिकायतकर्ता को भी पृष्ठांकित की जा रही है।

संलग्नक:- आवेदन कर्ता का शिकायती पत्र मूल रूप में समस्त संलग्नकों सहित।

(झरना कमठान)

सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून

दिनांक 14.09.17

पत्रांक 9963 / शि0सं0: 12439 / उ0सू0आ0 / 2017

प्रतिलिपि:

1. विभागीय अपीलीय अधिकारी/ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
2. लोक सूचना अधिकारी/ कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
3. शिकायतकर्ता श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार, निवारक समिति, जिला हरिद्वार, निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट औ0-बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार को सूचनाार्थ.

नोट:-कृपया आयोग से पत्राचार करते समय आयोग द्वारा निर्धारित शिकायत संख्या/अपील संख्या का उल्लेख अवश्य करें।



G(3)	FAO	KCF
RIO	LO	Secy.
	P.S.	Dy. Secy.

सेवा में

श्रीमान मुख्य सूचना आयुक्त महोदय

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून

आप

विषय - सूचना अधिकार अर्थात् द्वितीय अपील

महोदय प्रार्थने दि. 22-2-17 को एक आवेदन आदर्श पुनस आचार संहिता के दौरान सरकारी लाभ के आवेदन प्रकरण में राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा था। जिस पर कोई कृत कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। जानकारी हेतु दि. 8-5-17 को R.T.I आवेदन किया गया जिसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी कार्यालय ट्रांसफर किया गया था। परन्तु कोई जानकारी (सूचना) प्राप्त नहीं हुई जिस कारण दि. 18-7-17 को प्रथम विभागीय अपील पेश की गई परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई जिस कारण द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा रही है।

अतः महोदय से सख्त अनुरोध है कि प्रार्थी को वांछित सूचना दिलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाए कि कृपा करें कृपा होगी

दि. 29-8-17

- सलग्नक - 1- आवेदन दि. 22-2-17 की प्रतिलिपि
- 2- दि. 8-5-17 का R.T.I आवेदन "
- 3- प्रथम विभागीय अपील "
- 4- ट्रांसफर पत्र की प्रतिलिपि "

मौजिब हसन  
भवदीय  
जिलाध्यक्ष  
श्रम प्रकोष्ठ  
बिनाधार विकास समिति  
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)  
दि. 30-8-17  
तेलपुरा  
मिहरीगढ़  
जिला हरिद्वार

**अच्छाचार निवारक समिति**  
**COMMITTEE FOR THE PREVENTION OF CORRUPTION**

पत्रांक: प्र0नि0स0 / 5 / 17

दिनांक : 22-2-17

सेवा में  
 महोदय राज्य निर्वाचन अधिकारी महोदय  
 उत्तराखण्ड (देहरादून)

विषय - आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी अनुदान आवेदन के प्रकरण में

महोदय साहब अवगत कराना है कि, नसीम पुत्र शाहजहां निवा. तेलपुरा पो. वि. हारीगढ़, त. भगवानपुर डि. हरिद्वार का निवासी है। ये भवन एवं अन्य सन्निभण कार्यकार कल्याण बोर्ड उत्तराखण्ड में पंजीकृत किया है इनकी पंजीकरण सं० H-3623 दि० 2-9-15 है इन्होंने दि० 12-11-16 को अपनी पुत्री की शादी की थी जिसका रजिस्ट्रेशन दि० 8-12-16 को सड़की विवाह रजिस्टर महोदय के यहां कराया था। एवं शादी अनुदान का आवेदन नियमानुसार हरिद्वार प्रम. पर्वतन अधिकारी महोदय के कार्यालय में 22-12-16 को जमा किया था (हस्ताक्षर) उस वक़्त बताया गया था चुनाव घोषित होने को है इसलिये ये फार्म आवार संहिता के बाद ही भेजा जायेगा, बाद उल्लेख के बाद कार्यालय जाकर मातूम किया तो बताया कि ये आवेदन में 60 दिन के शासनोदेश के अनुसार अब आवेदन हो चुका है क्योंकि आवेदन की शकसण्णरी दि० 12-1-17 आदर्श-चुनाव आचार संहिता की अन्वय में पडती है ऐसे में सरकारी लाभ का आवेदन विरलक्षित रहता है जिसको कालबाधित नहीं माना जा सकता।

अतः महोदय से साहब अनुरोध है कि आवेदन को आदर्श चुनाव आचार संहिता का लाभ दिलाने हेतु शादी अनुदान का आवेदन स्वीकार करने हेतु प्रम. पर्वतन अधिकारी महोदय प्रम. कार्यालय हरिद्वार (शोशनावास) को अवैधित करने की कृपा करें

संलग्नक  
 जनहित में सूर्योपग की अपेक्षा  
 के साथ

अधीक्षक  
 जिलाध्यक्ष प्रम. प्रकोष्ठ  
 अच्छाचार निवारक समिति  
 जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)  
 पो. वि. हारीगढ़

110-9458122517

सत्तारक्षक मदन एवं अन्य सामिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक को सहायता प्रदान किये जाने हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप

सहायता संबंधी कारण पत्र सही (✓) का निदान अंकित करें।

- मृत्योपरांत तथा अन्यथा हेतु आर्थिक सहायता
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
- पेशा हेतु आर्थिक सहायता
- 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरान्त पेंशन
- पारिवारिक पेशा
- दूत किरा हेतु सहायता
- साईकिल हेतु सहायता
- नि:शुल्क प्रवेश
- स्वामी नि:शुल्क हेतु अनुग्रह धनराशि
- बच्चों को शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता
- विवाहोपरांत आर्थिक सहायता
- प्रसूति-प्रसूतिदा हेतु आर्थिक सहायता
- भ्रमण की जोशीय हेतु खर्च
- मोटर कार्रटन हेतु सहायता
- सिलाई मशीन हेतु सहायता

(नोट: आवेदन पत्र का प्रत्येक कालम्हड़े तथा सात अक्षरों में भरा जाएगा)

1. निर्माण श्रमिक का नाम: पसीम शिखर  
 2. पंजीकरण संख्या: M-3623 पंजीकरण दिनांक: 2-9-15  
 3. वर्तमान पता: गा. तेलपुरा पो. बिहरीगढ़ त. अमरावतपुर  
 जिला: हरिद्वार भा.सं. नं०: 9536538568



बिन्दु संख्या 3 में अंकित पत्रों के संबंध में निर्माण श्रमिक द्वारा प्रमाण स्वरूप आधार-कार्ड/राशन कार्ड/वोटिंग कार्ड प्राप्त होना आवश्यक है।  
 4. संलग्न प्रमाण-पत्र (संलग्न सूची से देखकर आवेदित योजनाओं में आवश्यकतानुसार प्रमाण-पत्र/दस्तावेज जो संस्थापित किये गये हैं, आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने आवश्यक हैं)

i. परिवार-पत्र की छायाप्रति (संलग्न किया जाना आवश्यक है)	ii. आधार कार्ड की छायाप्रति (संलग्न किया जाना आवश्यक है)
iii. बैंक पास बुक की छायाप्रति (संलग्न किया जाना आवश्यक है)	iv. <u>परिवार रजि. की नकल</u>
v. <u>शादी रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र</u>	vi. <u>शाशन कार्ड</u>
vii.	viii.

1. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त की गयी समस्त सूचना सही जानकारी में प्रत्यक्ष है। यदि इस सम्बन्ध में कोई तथ्य झूठ/मिथ्या प्रमाणित होता है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व मेरा होगा।  
 2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा इस योजना अथवा इस प्रकार की अन्य किसी विभाग द्वारा संचालित योजना में लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। दि. 20-2-17

दि. 20-2-17  
 पसीम शिखर

प्राप्ति-पसीम  
 ने प्राप्त दिनांक ..... को एक प्रार्थना-पत्र ..... योजना के अन्तर्गत प्राप्त किया।  
 प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर .....  
 नाम, पदनाम व मुहर .....  
 दिनांक .....

प्रारूप-XXXII [देखिय नियम 266 (8)]

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार का पहचान पत्र



पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय मुद्रा सहित  
उसके हस्ताक्षर, पदनाम और तिथि

सदस्य का नाम जसोम अली 5/0 शाफ़ू  
पता फ़तेहपुरापुर उर्फ तेलपुरा  
पो. बिक्रमगढ़ त. अमरगढ़  
जिला, गुजरात (U.K.)

पुरुष/स्त्री पुरुष

कार्य का नाम निर्माण श्रमिक

पंजीकरण संख्या 1/3623

जिला जयपुर

पंजीकरण का दिनांक 02/09/2015

बैंक एवं उसकी शाखा का नाम जिसमें अंशदान जमा होना है

O.B.C बैंक सिडको  
जयपुर

अंशदान की दर, रुपये 75/- वार्षिक तथा पंजीकरण  
शुल्क रुपये 25/-

जन्मतिथि 01-01-1969

आयु के पूर्ण वर्ष

सेवानिवृत्ति की तिथि 45 वर्ष

वैवाहिक स्थिति विवाहित/अविवाहित

पत्नी/पति नाम जफ़री बेगम

पता उपरोक्त

क्या पत्नी/पति इस कल्याण बोर्ड का सदस्य हैं यदि हाँ तो  
उसका नाम एवं रजिस्ट्रीकरण संख्या

नानितीयों के नाम जफ़री बेगम

सदस्य से सम्बंध पति

सदस्य के हस्ताक्षर/ओरों के निशान

जसोम अली  
पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम





OFFICE OF THE REGISTRAR COMPULSORY REGISTRATION  
OF MARRIAGES

ROORKEE-I, HARIDWAR, UTTARAKHAND (INDIA)

(Under the Uttarakhand Compulsory Registration of Marriages Act, 2010)



ARSHAD ALI NASREEN

ID-2396 8511 2581 ID-6583 2001 3488

This is to certify that as per particulars given in Memorandum of Marriage dated 07 Dec 2016 of Shri/Mr. ARSHAD ALI Son of Shri SHAMSHAD Resident of VILLAGE-BONDKI POST-PUNWARKA DISTRICT SAHARANPUR UTTAR PRADESH PINCODE 247120 and Shrimati /Mrs. NASREEN wife of Shri ARSHAD ALI resident of VILLAGE-BONDKI POST-PUNWARKA DISTRICT SAHARANPUR UTTAR PRADESH PINCODE 247120 the Memorandum of Marriage solemnized on 12 Nov 2016 at VILLAGE-FATEHULLAPUR URF TELPURA PRAGNA & TEHSIL BHAGWANPUR DISTRICT HARIDWAR has been entered at serial number 199 at page number 313 to 320 of volume number 18 dated 08 Dec 2016.

Dated-08 Dec 2016

  
Registrar

Compulsory Registration of Marriages  
ROORKEE-I, HARIDWAR  
UTTARAKHAND (INDIA)

मि. अ. अ.  
नसीज







**भारत सरकार**  
Unique Identification Authority of India  
Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No.: 2017/42536/29895

To  
नसीम अली  
Naseem Ali  
S/O: Shahjaha  
fatehullapur urf tehpura  
Fatehullapur Telpura  
Biharigarh  
Roorkee Haridwar  
Uttarakhand 247662  
9536538568

28/01/2015  
245584121

MP455841213FT



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

**8424 0350 5004**

**आधार - आम आदमी का अधिकार**



भारत सरकार  
Government of India

नसीम अली  
Naseem Ali  
जन्म तिथि / DOB : 01/01/1969  
पुरुष / Male



**8424 0350 5004**



**आधार - आम आदमी का अधिकार**



**सूचना**

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन प्रमाणीकरण द्वारा प्राप्त करें।

**INFORMATION**

- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.

- आधार देश भर में मान्य है।
- आधार भविष्य में सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में उपयोगी होगा।
- Aadhaar is valid throughout the country.
- Aadhaar will be helpful in availing Government and Non-Government services in future.



आधिकारण  
Unique Identification Authority of India

पता:  
आलय: भारतगढ़, फतेहपुरापुर उर्फ  
तेलपुरा, फतेहपुरापुर तेलपुरा,  
बिहारगढ़, हरिद्वार, उत्तराखण्ड,  
247662

Address:  
S/O: Shahjaha, fatehullapur urf  
tehpura, Fatehullapur Telpura,  
Biharigarh, Haridwar,  
Uttarakhand, 247662

**8424 0350 5004**

1847  
1620 500 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in



नि:अं  
नसीम

# ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ punjab national bank

IFS.C ਕੋਡ: PU.NB0166300

Punjab National Bank  
BO: BUGGAWALA (DISTT-HARDWAR)  
BUGGAWALA (DISTT-HARDWAR, UTTARAKHAND - (Phone: 01332-281466)

our toll-free number 1800 180 2222 from anywhere in India\*

Mode of Operation : SELF  
Customer No. : CLY001146  
Account No. : 166300 0100105496 INR  
NOMINEE NAME: NASIM S/OSHAHAJHAN  
TELPURA

BUGGAWALA -UA  
UTTARANCHAL INDIA  
Pin : 247662  
Nomination Registered at Sl.No. : 2477405496  
Nominee Name : INRAT JHAHAN  
Date of Issue : 24-04-2010

\*Computer generated entries shown in the statement of account do not require any authentication/initial from any official. Please do not accept any manual entry in your computer generated statement of account.

नांक / DATE

प्रबन्धक / MANAGER

Under Centralized Banking Solution System, Bank Shall only honour or pay the cheques of the customers against clear balance up to the previous day and having regard to the draws / the day already made in the account.

## पास बुक में प्रयुक्त शब्द-संक्षेप ABBREVIATIONS USED IN THE PASS BOOK

समाशोधन Clearing	स. शो. Clg.
अन्तरण Transfer	अं. Tr.
चैक Cheque	चैक Ch.
कमीशन Commission	कमी. Com.
व्याज Interest	व्याज Intt.
बट्टा Discount	बट्टा Disc.
बाहरी चैक/खरीदे गये बिल Outstation Cheques / Bills Purchased	डो.डी. DD
लाभदाता पत्र Dividend Warrant	ला. पत्र D/W
वापसी Returning	वापसी Rtrg.
प्रासंगिक प्रभार Incidental Charges	प्रा.प्र I/C
आगे ले जाया गया Carried Over	आ./ले C/O
पीछे से लाया गया Brought Forward	पी./ला. B/F
स्थानीय चैक/ड्राफ्ट Local Cheque / Demand Draft	एल.डी.डी. L.D.D.
ड्राफ्ट Draft	ड्रा. Drt.
नकद Cash	नकद Cash
बाहरी बिल/चैक Outstation Bill / Cheque	ओ.बी.सी. O.B.C.
आवक डाक अन्तरण Inward Mail Transfer	आई.एम.टी. I.M.T.
विदेशी बाह्य बिल खरीदे Foreign Outward Bills Purchased	एफ ओ बी पी FOBP
विदेशी बाह्य बिल वसूली Foreign Outward Bills Collected	एफ ओ बी सी FOBC
दाने Debit	डी. आर Dr.
जमा Credit	जमा Cr.

नि०५१०  
=समीम

**परिवार रजिस्टर**

गांव/समूह का नाम

11/11

पंचायत का नाम

जहसील

विकास खण्ड

24/11/11

जिला

11/11/11

क्र.सं.	परिवार के प्रमुख का नाम	परिवार के सदस्यों का नाम	पिता/पति का नाम	पुरुष या महिला	वर्ष/अंगुष्ठित जन्म की तिथि	जन्मतिथि यदि ज्ञात हो अन्यथा संभाव्य जन्म तिथि	वर्ष	समाप्त या निरक्षर दशा में आकर और तारीख	संकेत छोट देते या मृत्यु का दिनांक	अभिप्रेत
1	384	SHARMA	SHARMA	5	30/05/11	1-1-48	11-1-82			
2			SHARMA	5	30/05/11	1-1-48	11-1-82			
3			SHARMA	5	30/05/11	1-1-48	11-1-82			
4			SHARMA	5	30/05/11	1-1-48	11-1-82			
5			SHARMA	5	30/05/11	1-1-48	11-1-82			
6			SHARMA	5	30/05/11	1-1-48	11-1-82			
7			SHARMA	5	30/05/11	1-1-48	11-1-82			
8			SHARMA	5	30/05/11	1-1-48	11-1-82			
9			SHARMA	5	30/05/11	1-1-48	11-1-82			
10			SHARMA	5	30/05/11	1-1-48	11-1-82			
11			SHARMA	5	30/05/11	1-1-48	11-1-82			
12			SHARMA	5	30/05/11	1-1-48	11-1-82			

दिनांक :- अभिप्रेत स्वामन में आदेश की संख्या तथा दिनांक यदि कोई नाम बदला या जायज भय-हो-के-स-थ-प्रतिबन्धित-करने-की-के-करवाए-की-विशे-जाने-बाहिर।



सि० ३५०० नसीक

11/11/11

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005  
की धारा (6) (1) के अर्न्तगत आवेदन

1. आवेदक का पूरा नाम ..... मोब्बिन हसन 318 थ्री चुर हसन
2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जानी है ..... आ. तेलपुरा पो. बिहरीगढ़
3. दूरभाष क्रमांक/मोबाईल नम्बर ..... त. भगवानपुर जिला हरिद्वार  
9458122517
4. आवेदन देने का दिनांक ..... 8-5-17
5. कार्यालय का नाम ..... राज्य निर्वाचन आयोग
6. चाही गई जानकारी का विवरण : मूलतः आवेदन संलग्न है (अलग से सादे कागज पर चाही गई जानकारी का विवरण लिखकर इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत कर दें )
7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना  
..... रिकार्ड की प्रमाणित प्रति
8. आवेदन के साथ अदा किया जाने वाला प्रोसेस फी-रूडकी 10/- नगद/-स्टाम्प (बी पी एल सूची के सदस्य को देय नहीं) रसीद क्र. एवं दिनांक ..... 33 F - 760481 पोस्टल आर्डर
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा से नीचे है अथवा नहीं-हां/नहीं यदि हां तो बी. पी. एल. सूची का अनुक्रमांक ..... X

मोब्बिन हसन  
हस्ताक्षर (आवेदनकर्ता)

टीप - यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रूपये 10 का स्टाम्प चसपा करते हुए रजिस्टर्ड पी.सी./डाक व्यय सहित स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा साथ में संलग्न करें। (बी.पी.एल. सूची के सदस्य को डाक व्यय देय नहीं)

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक
3. संबन्धित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

भारतका डाक टिकट दस रुपया केवल भारत के डाकघरों में ही प्रयोज्य है।



डाक टिकट  
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर  
POSTMASTER

भारतीय पोस्टल ऑर्डर  
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO लोक सूचना अधिकारी/राज्य  
निम्न भाषा दहरादून को  
दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY


₹ 10

AT THE POST OFFICE AT

दहरादून

के डाकघर में अदा करें।

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE



कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहाँ लिख दे।  
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

मेखीन हसन शंकर हसन  
शं. तेलपुरा के विहारिक  
जि. हरिद्वार

33F 760481

पत्रिका क्र. ३५

वैमान लोक सूचना अधिकारी महोदय  
राज्य निर्वाचन आयोग इतराखण्ड  
देहरादून

विषय: सूचना अधिकार अन्तर्गत धानेदन

महोदय प्राप्ति 3 दि०-22-2-17 को एक प्रार्थनापत्र राज्य निर्वाचन अधिकारी महोदय को आवश्यक कार्यवाई हेतु उपेक्षित किया था (दायप्रति सत्य) काफी समय गुजरने के बाद भी उक्त प्रकरण में कुछ कार्यवाई की जानकारी प्राप्ति को नहीं हुई है जिस कारण प्रार्थनापत्र R.T.I. प्रस्तुत कर जानकारी चाही गई है।

- 1- उक्त प्रार्थनापत्र पर क्या कार्यवाई हुई
- 2- वैमान में उक्त प्रार्थनापत्र में क्या कार्यवाई चल रही है

दि० 8-5-17

सत्यनन्द

- 1- दि० 22-2-17 को उपेक्षित प्रार्थनापत्र की प्रति
- 2- पोस्टल ऑर्डर नं० 10  
नं० 33F 760481

भवदीय

मौवीज हसन

जिलाध्यक्ष

श्रम प्रकोष्ठ

बिप्लव विचारक समिति  
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

नि० ग० तेलपुरा

पो० बिटारीगढ़

त० भगवानपुर

जि० हरिद्वार

नेका के श्रीमान/मैडम- प्रथम विभागीय अपील अधिकारी-  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड

विषय - सूचना अधिकार अन्तर्गत प्रथम विभागीय अपील  
महोदय निवेदन है कि प्राप्ति के दि० 22-2-17 को श्व.  
प्रार्थनापत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया था।  
काफ़ी समय गुज़रने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। जिसका  
जानकारी हेतु दि० 8-5-17 को R.T.I आवेदन भेजा गया  
जो द्राफ़्ट किया गया था (दाया प्रति सलगन) परन्तु  
निर्धारित 30 दिन के समय उपरान्त भी कोई जवाब  
नहीं प्राप्त हुआ। जिस कारण प्रथम विभागीय अपील  
प्रस्तुत की जा रही है।

अतः नियमानुसार प्रथम अपील का  
निस्तारण कर वांछित सूचना दिलाने का कष्ट करें  
कृपा होगी।

दि० 18-7-17

सलगनक

- 1- सूचना आवेदन की प्रति
- 2- द्राफ़्ट पत्र की प्रति

भवदीय

मोकीन हसन

विभागाध्यक्ष  
श्रम प्रकोष्ठ

कन्द्राचार निवारक समिति  
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

नि० 030 तेलपुरा

पो० बि हरीगढ़

जि० हरिद्वार





# उत्तराखण्ड सूचना आयोग

पंजीकृत / दस्ती

सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून

कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी

अपील संख्या:  
अपील अन्तर्गत धारा  
अपीलकर्ता

A(D)-25332/2017

19 (3) सू. का अधि. अधिनियम 2005

श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ भ्रष्टाचार निवारक समिति, जिला हरिद्वार, ग्राम तेलपुरा, पोस्ट औ0-बिहारीगढ़, तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार

पत्र प्राप्ति का दिनांक-26/12/17

बनाम

- प्रत्युत्तरदाता 1. लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी / सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून

नोटिस

अपीलकर्ता श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ द्वारा आयोग को राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) 2005 के द्वारा निस्तारणार्थ अपील प्रार्थना पत्र 17.12.2017 को प्रस्तुत किया गया है. आयोग द्वारा प्रार्थना पत्र को अपील के रूप में सुनवाई हेतु विचार करने के उद्देश्य से 12.03.2018 (सोमवार) को आयोग कार्यालय, सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून में वाद सूची के क्रम के अनुसार 11.15 बजे से दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाता है.

2. अपीलार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 के द्वारा नियम-3 और नियम-4 के द्वारा प्राविधानित प्रस्तुत सामग्री को नियम छ: के अनुसार प्रत्युत्तरदाता को पंजीकृत डॉक से / विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है.
3. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा प्रार्थना पत्र की प्रति तथा संलग्न अभिलेखों को प्रत्युत्तरदाताओं को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि वे 12.03.2018 को सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहें. प्रत्युत्तरदाताओं से यह भी अपेक्षित है कि वे इस अपील-मेमोरेण्डम के सापेक्ष अपने पक्ष में निम्नलिखित मूल अभिलेखों के साथ स्वयं अथवा प्रतिनिधि उपस्थित हों.

लोक सूचना अधिकारी

अ. अपीलकर्ता / प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र पर बिंदुवार लिखित उत्तर

ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो, तथा

स. लोक सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित पंजिका

द. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराये गये सूचना की प्रतियां

ध. विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति

न. नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "क" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के

विभागीय अपीलीय अधिकारी

अ. अपील पर बिंदुवार लिखित उत्तर,

ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित विभागीय अपील व्यवहृत की गयी हो, तथा

स. निर्धारित विभागीय अपील पंजिका

द. नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "ख" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के

आयोग की ओर से

(झरना कमठान)

सचिव

दिनांक : 21/12/2017

संख्या : 13166 / उ.सू.आ. / अपील / 2017-18 / (CIC)  
प्रतिलिपि

1. श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ भ्रष्टाचार निवारक समिति, जिला हरिद्वार, ग्राम तेलपुरा, पोस्ट औ0-बिहारीगढ़, तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार।
2. लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
3. विभागीय अपीलीय अधिकारी / सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
4. विभागीय पत्रावली।

(झरना कमठान)

सचिव

ARO(K)

अपीलकर्ता पत्रावली

यह प्रतिलिपि

13/12/17  
11-1-18  
P10

द्वितीय अपील की सुनवाई के समय विभागीय अपीलीय अधिकारी आवेदक के द्वितीय अपीलीय पत्र में की गई आपत्तियों के साथ-साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना लिखित अभिकथन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे  
(प्रारूप - "ख")

1.	प्रथम अपील/विभागीय अपीलीय पत्र विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्राप्त होने की दिनांक	
2.	प्रथम अपील/विभागीय अपीलीय पत्र पर सुनवाई हेतु नियत की गई सुनवाई की तिथि	
3.	लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलकर्ता को सुनवाई का नोटिस प्रेषित किए जाने का पत्रांक व दिनांक	
4.	सुनवाई का नोटिस प्रेषित किए जाने का माध्यम	
5.	प्रथम अपील/विभागीय अपील के आदेश के घोषित होने की दिनांक तथा अपीलार्थी और लोक सूचना अधिकारी को आदेश प्रेषित करने की दिनांक	
6.	यदि प्रथम अपील का निस्तारण नहीं किया गया है या विलम्ब से किया गया है तब प्रथम अपील का निस्तारण न करने या विलम्ब से करने का औचित्यपूर्ण कारण	
7.	प्रथम अपीलीय पत्र प्राप्त होने की तिथि से आयोग में द्वितीय सुनवाई के मध्य यदि विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है तब संबंधित विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, कब से कब तक विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया गया, वर्तमान में किस पद व स्थान पर कार्यरत हैं	

विभागीय अपीलीय अधिकारी के हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

पूर्ण पता .....

दूरभाष/फैक्स नं०/ मो०नं०.....

ई-मेल आई.डी.....

श्रीमान मुख्य सूचना आयुक्त महोदय

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

दि० 10-12-17

विषय - शिकायत सं० 12439/18(I) के संदर्भ में

महोदय अवगत कराना है कि प्रार्थी ने 29-8-17 को एक द्वितीय अपील रजि० डाक द्वारा भेजी थी। इससे पूर्व विद्यमान सूचना प्रार्थनापत्र एवं प्रथम विभागीय अपील भी रजि० डाक द्वारा सम्बन्धित विभाग को भेजी गई थी। मसूदा भी सलान के फिर्मा भी भेरी द्वितीय अपील को मात्र शिकायत में दर्ज किया गया एवं प्रथम अपील के रूप में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड को निस्तारण हेतु भेजा गया। जहाँ से प्रार्थी को अवगत कराया गया कि मूल प्रार्थना पत्र दि० 22-2-17 जो इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था कार्यालय में पत्र सं०-209/XXV-23 (PART-2) 2017 दि० 2 मार्च 2017 को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है। इसके अलावा सूचना आवेदन व प्रथम विभागीय अपील इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई इसलिए इसका निस्तारण नहीं हो सका उक्त क्रम में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय/जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार से जानकारी चाही गई उनके यहां से भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ इसलिए कोई कार्यवाही नहीं हुई (दाया प्रतिसादन)

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि उक्त प्रकार में रजि० डाक से भेजी गई प्रथम विभागीय अपील एवं सूचना अधिकार का आवेदन कहीं गया एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा आवेदन कहां गया यदि राज्य में आचार संहिता लागू करने वाले निर्वाचन आयोग एवं अधिकारियों को ये स्थिति है तो राजस्विक दलक जन प्रतिनिधी कथार करते होंगे। नियमानुसार प्रकार का निस्तारण कर शर्दी अनुदान के आवेदन को अपरेश आचार संहिता का लाभ होने हूय। आवेदन स्वीकार करने हेतु आदेशित करने का कृपा करें।

सलानक - 1- मूल प्रार्थनापत्र दि० 22-2-17

no- 9458122517

भवदीय  
मोवीन हसन

2- सूचना प्रार्थनापत्र दि० 8-5-17

3- राज्य निर्वाचन आयोग से मुख्य निर्वाचन अधिकारी/लोक सू० अधिकारी को हस्तांतरण पत्र दि० 19-5-17

4- मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहां से प्राप्त पत्र

5- जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार के यहां से प्राप्त पत्र

6- शिकायत सं० 12439/18(I) का आदेश

जिलाध्यक्ष  
राज्य निर्वाचन आयोग  
कल्याण नवमक समिति  
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)  
पि० ग० तेकपुरा पो० विहरिगढ़  
हरिद्वार

गये डाक टिकटों का मूल्य रु० ५०  
 Date of Stamps affixed Rs. 50  
 तारीख-मोहर Date-stamp  
 रजिस्ट्री प्राप्त किया  
 Receive Register  
 पाने वाले का नाम/Addressed to  
 पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर  
 Signature of Receiving Officer



दिनांक : 29-2-17

क्र. अ०नि०स० / 5 / 17

सेवा में  
 महोदय राज्य निवर्तन अधिकारी महोदय  
 उत्तराखण्ड (देहरादून)

विषय - आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी अनुदान आवेदन के प्रकरण में

महोदय सादर अवगत करवा है कि नसीम पुत्र शाहजहा निवा. तेलपुरा पो. वि. हाजीगढ़, त. भगवानपुर जि. हरिद्वार का निवासी है। ये भवन एवं अन्य सुविधाएँ कार्यकारी कल्याण बोर्ड उत्तराखण्ड में पंजीकृत अभिकर्ता इनकी पंजीकरण सं. H-3623 दि. 2-9-15 है। इन्होंने दि. 12-11-16 को अपनी पुनीक शर्मा की थी जिसका रजिस्ट्रेशन दि. 8-12-16 को सड़की विवाह रजिस्ट्रार महोदय के यहां कराया था। एवं शर्मा अनुदान का आवेदन नियमानुसार हरिद्वार प्रथम पर्वतन अधिकारी महोदय के कार्यालय में 22-12-16 को जमा किया था (दस्तावेज) उस वक्त बताया गया था चुनाव घोषित होने को है इसलिए ये फार्म आचार संहिता के बाद ही भेजा जायेगा, बोर्ड उल्लेख के बाद कार्यालय जाकर मातूम किया तो बताया कि ये आवेदन तो 60 दिन के शासनोदेश के अनुसार अब प्रारिज हो चुका है जबकि आवेदन की संकसपथी दि. 12-1-17 आदर्श-चुनाव आचार संहिता की अन्तर्गत में पडती है ऐसे में सरकारी लाभ का आवेदन निलम्बित रहता है जिसको कालबाधित नहीं मना जा सकता।

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि आवेदन को आदर्श चुनाव आचार संहिता का लाभ दिलाने हेतु इस शर्मा अनुदान का आवेदन स्वीकार करने हेतु प्रथम पर्वतन अधिकारी महोदय प्रथम कार्यलय हरिद्वार (श्रीशलाबाद) को अधिसूचित करने की कृपा करें

सम्बन्ध  
 1- शर्मा अनुदान का आवेदन (द्वितीय आवेदन) के साथ  
 जनहित में सूच्योपयोगी अपेक्षा  
 Mo-9458122517

भवदीय  
 जिलाधिकारी  
 प्रथम प्रकोष्ठ  
 न्यायिक निवारक समिति  
 जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)  
 पो. वि. हाजीगढ़

न एवं अन्य सामिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक को सहायता प्रदान  
 किये जाने हेतु आवेदन-पत्र का प्रारम्भ

संज्ञित सहायता संबंधी कालम पर सही (✓) क्रम निशान चिह्नित करें।

- मृत्योपरान्त तक्ष अन्तर्देहि हेतु आर्थिक सहायता
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
- पेंशन हेतु आर्थिक सहायता
- 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरान्त पेंशन
- धारिकारिक पेंशन
- दूत फिट हेतु सहायता
- साक्षिकित हेतु सहायता

- विशिक्षा प्र पेंशन
- स्थायी निःसफता हेतु अनुग्रह पनसारी
- बच्चों को शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता
- विवाहोपरान्त आर्थिक सहायता
- प्रसूति-पुस्तुबिधा हेतु आर्थिक सहायता
- भक्षण की क्षरीर हेतु रूप
- सोलर लालटेन हेतु सहायता
- सिलकई मशीन हेतु सहायता

नोट : आवेदन पत्र का इत्येक कालम बड़े तथा साफ अक्षरों में भर जायगा।  
 नसीम 810 शाहिदा

नमारा श्रमिक का नाम : नसीम 810 शाहिदा  
 पंजीकरण संख्या : H-3623  
 पंजीकरण दिनांक : 2-9-15  
 वर्तमान पता : गा० तेलपुरा नो० बिहारीगढ़ तंभलगजनपुर  
 मंगल नं० : 9536538568



जि० हरिदा  
 हेतु संख्या 3 में अंकित पत्रों के संबंध में निर्माण श्रमिक द्वारा प्रमाण स्वल्प आधार-कार्ड/राशन कार्ड/बैंक कार्ड ज्ञात  
 मलब हो लगाया जाना आवश्यक है।  
 संलग्न प्रमाण-पत्र (संलग्न सूची से देखकर आवेदित योजनाओं में आवश्यकतानुसार प्रमाण-पत्र/दस्तावेज जो सत्यापित किये गये हों  
 आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाना आवश्यक है।

i. पत्रिय-पत्र की छायाप्रति (संलग्न किये जाना आवश्यक है)	ii. आधार कार्ड की छायाप्रति (संलग्न किये जाना आवश्यक है)
iii. बैंक पास बुक की छायाप्रति (संलग्न किये जाना आवश्यक है)	iv. परिवार रजि० की नकल
v. शाही रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र	vi. राशन कार्ड
vii.	viii.

- घोषणा
- मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त की गयी अनुरोध सूचना मेरी जानकारी में सत्य है। यदि इस संबंध में कोई तथ्य  
 झूठ/विभ्रित पाया जाता है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व मेरा होगा।
  - मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा इस योजना अथवा इस प्रकार की अन्य  
 किसी विभाग द्वारा संचालित योजना में लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। 12-2-17



दि० ३०  
 नसीम

प्राप्ति-रसीद  
 श्री/श्रीमती/कु० ..... को एक प्रार्थना-पत्र ..... लाभार्थी पंजीकरण संख्या ..... योजना के अन्तर्गत प्राप्त  
 ने आज दिनांक ..... किया।  
 प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर .....  
 नाम, पदनाम व मुहर .....  
 दिनांक .....

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार का पहचान पत्र



पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय मुद्रा सहित  
उसके हस्ताक्षर, पदनाम और तिथि

सदस्य का नाम जसीम अली 5/0 शाहजहाँ  
पता फतेहगढ़नापुर उप तेलपुरा  
पो. बिजरीगढ त. भगवानपुर  
ब्लाक भुगवावला जिला  
(U.R.)

पुरुष/स्त्री पुरुष

कार्य का नाम निर्माण कर्मिक

पंजीकरण संख्या 1/3623

जिला हरियाणा

पंजीकरण का दिनांक 02/09/2015

बैंक एवं उसकी शाखा का नाम जिसमें अंशदान जमा होना है

O.B.C बैंक सिडकोटा  
हरियाणा

अंशदान की दर, रुपये 75/- वार्षिक तथा पंजीकरण शुल्क रुपये 25/-

जन्मतिथि 01-01-1969

आयु के पूर्ण वर्ष 45 वर्ष

सेवानिवृत्ति की तिथि

वैवाहिक स्थिति निर्वाहित/अविवाहित

पत्नी/पति नाम जफरी बेगम

पता उपरिपत्र

क्या पत्नी/पति इस कल्याण बोर्ड का सदस्य हैं यदि हाँ तो

उसका नाम एवं रजिस्ट्रीकरण संख्या


नामितियों के नाम जफरी बेगम

सदस्य से सम्बंध पति

सदस्य के हस्ताक्षर/संकेत का निशान

जसीम अली  
पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर/संकेतनाम


नि० प्र०  
जसीम



OFFICE OF THE REGISTRAR COMPULSORY REGISTRATION  
OF MARRIAGES

ROORKEE-I, HARIDWAR, UTTARAKHAND (INDIA)

(Under the Uttarakhand Compulsory Registration of Marriages Act, 2010)



ARSHAD ALI NASREEN

ID-2396 8511 2581 ID-6583 2001 3488

This is to certify that as per particulars given in Memorandum of Marriage dated 07 Dec 2016 of Shri/Mr. ARSHAD ALI Son of Shri SHAMSHAD Resident of VILLAGE-BONDKI POST-PUNWARKA DISTRICT SAHARANPUR UTTAR PRADESH PINCODE 247120 and Shrimati /Mrs. NASREEN wife of Shri ARSHAD ALI resident of VILLAGE-BONDKI POST-PUNWARKA DISTRICT SAHARANPUR UTTAR PRADESH PINCODE 247120 the Memorandum of Marriage solemnized on 12 Nov 2016 at VILLAGE-FATEHULLAPUR URF TELPURA PRAGNA & TEHSIL BHAGWANPUR DISTRICT HARIDWAR has been entered at serial number 199 at page number 313 to 320 of volume number 18 dated 08 Dec 2016.

Dated-08 Dec 2016

  
Registrar

Compulsory Registration of Marriages  
ROORKEE-I, HARIDWAR  
UTTARAKHAND (INDIA)

नि.जं  
नसीम





आधार



AADHAAR



Government of India

सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकत्व का नहीं।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन प्रमाणीकरण द्वारा प्राप्त करें।

INFORMATION

- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.

भारत सरकार


Identification Authority of India  
Government of India

प्रमाणन क्रम / Enrollment No.: 2017/42536/29895

To  
नसीम अली  
Naseem Ali  
S/O: Shahjaha  
Fatehullapur urf Telpura  
Fatehullapur Telpura  
Biharigarh  
Roorkee Haridwar  
Uttarakhand 247662  
9536538568

28/04/2015

2A1504121



MP455841213FT



पका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

8424 0350 5004

आधार - आम आदमी का अधिकार

आधार देश भर में मान्य है।  
आधार अविष्य में सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में उपयोगी होगा।  
Aadhaar is valid throughout the country.  
Aadhaar will be helpful in availing Government and Non-Government services in future.



पता:

आदमन: शाहजहा, फतेहउल्लापुर उर्फ  
तेलपुरा, फतेहउल्लापुर तेलपुरा,  
बिहारिगढ़, हरिद्वार, उत्तराखण्ड,  
247662

Address:

S/O: Shahjaha, Fatehullapur urf  
Telpura, Fatehullapur Telpura,  
Biharigarh, Haridwar,  
Uttarakhand, 247662

8424 0350 5004

1947  
1200 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

8424 0350 5004

आधार - आम आदमी का अधिकार



मि०अ०  
नसीम



# पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

IFSC कोड: PUNB0166300

unjab National Bank खाता विवरण  
 O: BUGAWALA (DISTT-HARDWAR)  
 UGGAWALA (DISTT-HARDR, UTTRAKHAND - (Phone: 01332-281466)

toll free number 1800 180 2222 from anywhere in India\*

Mode of Operation : SELF  
 Customer No. : CLY001146  
 Account No. : 166300 0100105496 INR  
 MR NASIM S/OSHAHAJHAN  
 TELPURA

BUGAWALA -UA  
 UTTARANCHAL INDIA  
 Pin : 247662  
 Nomination Registered at Sl.No. : 2477405496  
 Nominee Name : IMRAT JHAHAN  
 Date of Issue : 24-04-2010

~~\*\*Computer generated entries shown in the statement of account do not require any authentication/initial from bank official. Please do not accept any manual entry in your computer generated statement of account~~

DATE प्रबन्धक/MANAGER

केंद्रित वसुली प्रणाली (सी बी एस) के तहत केवल बैंक खातों को ही वसुली करना सख्त आवश्यक है। कृपया वसुली के लिए केवल बैंक खातों का ही ध्यान रखें।  
 Centralized Banking Solution System, Bank shall only honour or pay the cheques of drawers against clear balance up to the previous day and having regard to the draws already made in the account.

## पास बुक में प्रयुक्त शब्द-संक्षेप ABBREVIATIONS USED IN THE PASS BOOK

समाप्त	स. शो.
Clearing	Clg.
अन्तरण	अं.
Transfer	Tr.
चेक	चैक
Cheque	Ch.
कमीशन	कमी.
Commission	Com.
व्याज	व्याज
Interest	Intt.
बट्टा	बट्टा
Discount	Disc.
बाहरी चेक/खरीदे गये बिल	डीडी
Outstation Cheques /Bills Purchased	DD
लाभांश पत्र	ला. पत्र
Dividend Warrant	D/W
वापसी	वापसी
Returning	Rtg.
प्रारंभिक प्रभार	श.प्र
Incidental Charges	IC
आगे ले जाया गया	आ./ले.
Carried Over	C/O
पीछे से लाया गया	पी./खरीदे
Brought Forward	B/F
स्थानीय चेक/ड्राफ्ट	एल.डी.डी.
Local Cheque / Demand Draft	L.D.D.
ड्राफ्ट	श.
Draft	Dr.
नकद	नकद
Cash	Cash
बाहरी बिल/चेक	ओ.बी.सी.
Outstation Bill / Cheque	O.B.C.
आवक डाक अन्तरण	आई.एम.टी.
Inward Mail Transfer	I.M.T.
विदेशी बाह्य बिल खरीदे	एफ ओ बी पी
Foreign Outward Bills Purchased	FOBP
विदेशी बाह्य बिल वसुली	एफ ओ बी सी
Foreign Outward Bills Collected	FOBC
नामे	डी. अर
Debit	Dr.
जमा	जमा
Credit	Cr.

नि०५१०  
 नसीम

पृष्ठ 2 देखिये)

# MASTHAR राजस्तर

गांव संस्था का नाम

व्याय पंचायत का नाम

विकास खण्ड

गांव का नाम

तहसील

जिला

क्रम संख्या	मकान नं०	परिवार के प्रमुख का नाम	परिवार के सदस्यों का नाम	पिता/पति का नाम	पुरुष या महिला	धर्म, अनुसूचित जाति की दशा में जाति	जन्मतिथि यदि ज्ञात हो अथवा संग्राह्य जन्म तिथि	धन्या	साक्षर या निरक्षर साक्षर होने की दशा में अक्षरता और व्यौरा	सकिल छोड़ देने या मृत्यु का दिनांक	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	384	MASTHAR	MASTHAR	MASTHAR	5	MASTHAR	1-1-45	MASTHAR	MASTHAR	11	MASTHAR
2					4		1-1-48				
3					3		1-1-82				
4					2		1-1-92				
5					3		1-1-68				
6					2		1-1-70				
7					3		1-1-94				
8					2		1-1-96				
9					2		1-1-98				
10					3		1-1-2000				
11					3		1-1-2002				
12					2		1-1-2007				
13					2		1-1-2008				

टिपणी :- अभियुक्ति स्तम्भ में आवेद्य की संख्या तथा दिनांक यदि कोई नाम बढ़ाया या हटाया-संख्या को के साथ प्रमाणित करने वाले के हस्ताक्षर भी लिखे जाने चाहिए।

Handwritten signature and notes in the right margin.



पि० ए० नरसिंह



Counter No: 1, CP-Code: 06  
To: LOK SUGHNA ADHIKARI, RAJYA NIRVACHAN AYOG  
DEHRADUN, PIN: 248001  
From: MOBIN HASAN JICA ADHYAKSH, SHARAH PRAKTI  
India Post  
Wt: 30grams  
Amt: 46.00, 09/05/2017, 10:38  
Taxes: Rs. 5.00 (Track on www.indiapost.gov.in)

अधिकार अधिनियम, 2005

क्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(1) के अर्न्तगत आवेदन

1. आवेदक का पूरा नाम ..... मोबीन हसन शाह श्री सुरहसब
2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जानी है ..... शाह तैयारा पो- बिहरीगढ़  
तं भगवानपुर जि० हरिद्वार
3. दूरभाष क्रमांक/मोबाईल नम्बर ..... 9458122517
4. आवेदन देने का दिनांक ..... 8-5-17
5. कार्यालय का नाम ..... राज्य निर्वाचन आयोग
6. चाही गई जानकारी का विवरण : मूलतः आवेदन संलग्न है (अलग से सादे कागज पर चाही गई जानकारी का विवरण लिखकर इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत कर दें)
7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना  
..... रिकार्ड की प्रमाणित प्रति
8. आवेदन के साथ अदा किया जाने वाला प्रोसेस फी-रुडकी 10/- नगद/-स्टाम्प (बी पी एल सूची के सदस्य को देय नहीं) रसीद क्र. एवं दिनांक ..... 33 F - 760481 फौस्टल डाईर
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा से नीचे है अथवा नहीं-हां/नहीं यदि हां तो बी. पी. एल. सूची का अनुक्रमांक ..... 8

मोबीन हसन  
हस्ताक्षर (आवेदनकर्ता)

टीप - यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रुपये 10 का स्टाम्प चसपा करते हुए रजिस्टर्ड/यू. पी.सी./डाक व्यय सहित स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा साथ में संलग्न करें। (बी.पी.एल. सूची के सदस्य को डाक व्यय देय नहीं)

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक
3. संबन्धित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

नर टिका दशजोका इस शिवा कसु रजका १९५०९ पणु ७५ दहा रुपये ०९ ९९। सत्र रुपये दस रुपयकसपी

NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्ट ऑर्डर  
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO लोक सूचना अधिकारी/रज्य  
निवचन आयोग देहरादून

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

कमिशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

AT THE POST OFFICE AT

देहरादून

के डाकघर में अदा की।

मोती नंदन गिरी  
आ. नैनीताल के सि.डी.ओ.  
जि. हरिद्वार

डाक टिकट  
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर  
POSTMASTER

DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

33F 760481

8 श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय  
राज्य निर्वाचन आयोग इतराखण्ड  
देहरादून

विषय: सूचना अधिकार अन्तर्गत आवेदन

महोदय प्रार्थी ने दि०-२२-२-१७ को एक प्रार्थनापत्र राज्य निर्वाचन अधिकारी महोदय को आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित किया था (दायप्रति सत्य) काफी समय गुजरने के बाद भी उक्त प्रकरण में कृपया कार्यवाई की जानकारी प्रार्थी को नहीं हुई है जिस कारण प्रार्थनापत्र R.T.I. प्रस्तुत कर जानकारी चाही गई है।

1- उक्त प्रार्थनापत्र पर क्या कार्यवाई हुई

2- वेतबाल में उक्त प्रार्थनापत्र में क्या कार्यवाई चल रही है।

दि० 8-5-17

सत्यमक

- 1- दि० 22-2-17 को प्रेषित प्रार्थनापत्र की प्रति
- 2- पोस्टल ऑर्डर नं० 10  
नं० 33F 760481

भवदीय  
मोवीय हसन

जिलाध्यक्ष  
श्रीम प्रकोष्ठ  
सुद्वारा निवारक समिति  
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)  
नि० 33F तेलपुरा  
पो० बिहारीगढ़  
ते० भगवानपुर  
जि० हरिद्वार



जन आयोग

खण्ड



सत्यमेव जयते

पत्रांक : / रा.नि.आ-1/2180/2017

दिनांक 19/5/2017

सूचना

का अधिकार

## राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरण के लिए प्रपत्र

अनुभाग अधिकारी /  
लोक सूचना अधिकारी,  
कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,  
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

श्री मोबीन हसन पुत्र श्री नूरहसन, ग्राम-तेलपुरा, पो0-बिहारीगढ़, तहसील-भगवानपुर, जनपद हरिद्वार का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 08.05.2017 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 17.05.2017 को प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति संलग्नक सहित संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुरोध पत्र में अनुरोधकर्ता द्वारा अपने शिकायती-पत्र दिनांक 22.02.2017 के संबंध में मांगी गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है। कृपया वांछित सूचना अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि अनुरोधकर्ता का उक्त शिकायती-पत्र दिनांक 22.02.2017 राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड में प्राप्त हुआ था, किन्तु उक्त शिकायती-पत्र विधान सभा निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता से संबंधित होने के फलस्वरूप अनुरोधकर्ता के शिकायती-पत्र को राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रवाहक द्वारा दिनांक 23.02.2017 को आपके कार्यालय में प्राप्त करा दिया गया था। प्राप्ति रसीद की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है।

उक्त सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोधकर्ता द्वारा आवेदन शुल्क के रूप में 10.00 रु० का भारतीय पोस्ट आर्डर प्रेषित किया गया है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रभात कुमार सिंह)  
सहायक आयुक्त /  
लोक सूचना अधिकारी।  
मो० नं०-7534820739

संख्या-114 / रा० नि० आ०-1/2180/2017 तददिनांक (पंजीकृत)

प्रतिलिपि:-

श्री मोबीन हसन पुत्र श्री नूरहसन, ग्राम-तेलपुरा, पो0-बिहारीगढ़, तहसील-भगवानपुर  
जनपद हरिद्वार।

(प्रभात कुमार सिंह) 19.5.17  
सहायक आयुक्त /  
लोक सूचना अधिकारी।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर

श्री बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष : 0135 - 2670457, 2670998

टेलीफैक्स : 0135 - 2670920, 2678945

ई-मेल : sec.uttarakhand@gmail.com



ग मूल्य रूप से प्राप्त किया  
 Addressed to: श्रीमान मुख्य सूचना आयुक्त महोदय  
 पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर  
 Signature of Receiving Officer

श्रीमान मुख्य सूचना आयुक्त महोदय  
 उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून

सूचना आयोग पर उत्तरित द्वितीय अपील

महोदय  
 प्रार्थी ने दि. 22-2-17 को एक आवेदन आदर्शचुनाक  
 आचार संहिता के दौरान सरकारी लाभ के आवेदन प्रकरण  
 में राज्य निवचिन आयोग को भेजा था। जिस पर कोई  
 कृत कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। जानकारी  
 हेतु दि. 8-5-17 को R.T.I आवेदन किया गया जिसके  
 सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त आवेदन  
 लोकसूचना अधिकारी कार्यालय ट्रांसफर किया गया था  
 परन्तु कोई जानकारी (सूचना) प्राप्त नहीं हुई जिस कारण  
 दि. 18-7-17 को प्रथम विभागीय अपील पेशित  
 की गई परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई जिस कारण  
 द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा रही है।

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि प्रार्थी  
 को वांछित सूचना दिलाने हेतु नियमानुसार  
 कार्यवाही की जायें ताकि शिकायत दूर हो सके।

दि. 29-8-17

- सलगनक - 1- आवेदन दि. 22-2-17 की शिकायत
- 2- दि. 8-5-17 का R.T.I आवेदन "
- 3- प्रथम विभागीय अपील "
- 4- ट्रांसफर पत्रकी प्रत "

मौजिब हसन  
 भवदीय  
 जिलाध्यक्ष  
 अथ प्रकोष्ठ  
 महाधर मेकारक समिति  
 जिला लखन (उत्तराखण्ड)  
 दि. 30-तेलपुरा  
 पो. सिवली

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

Email ID- ceo\_uttaranchal@eci.gov.in

फोन नं० (0135) - 2712055, 271355

फैक्स नं० (0135) - 2713724, 2712014

संख्या 2375/XXV-12/2015

देहरादून:

दिनांक 19 सितम्बर, 2017.

सेवा में,

श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष,  
श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारक समिति जिला हरिद्वार,  
निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट ओ० बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार।

विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आदेश संख्या- 9963/शि०सं०: 12439/उ०सू०आ०/2017 दिनांक 14-09-2017 जो आपको पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त क्रम में अवगत कराना है कि आपके पत्रांक: भ०नि०स०/5/17 दिनांक 22-2-17 जो इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था, को कार्यालय पत्र संख्या-209/XXV-23 (Part-2)/2017 दिनांक 02 मार्च, 2017 (जिसकी छाया प्रति संलग्न है) द्वारा जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।


2- उक्त के अतिरिक्त आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने संबंधी आवेदन एवं प्रथम विभागीय अपील इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण इसका निस्तारण नहीं किया जा सका।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आदेश के क्रम में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः उक्त निर्धारित तिथि को समय 11.00 बजे पूर्वाह्न अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर योजना भवन, प्रथम तल स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हो तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

  
( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

पृ० संख्या- /XXV-12/2015 , तददिनांकित

1-प्रतिलिपि सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून को उनके उक्त वर्णित आदेश के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रतिलिपि श्री बी०एस० रावत, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

Email ID- ceo\_uttaranchal@eci.gov.in

फोन न० (0135) - 2712055, 271355

फैक्स न० (0135) - 2713724, 2712014

संख्या 209 /XXV-23(Part-2)/2017 देहरादून:

दिनांक 02 मार्च, 2017.

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
हरिद्वार।

विषय:- आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी अनुदान आवेदन के प्रकरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारक समिति जिला हरिद्वार, निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट ओ० बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार के पत्रांक भ्र०नि०स०/5/17 दिनांक 22 फरवरी, 2017 की (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संदर्भित प्रकरण पर अपने स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

पृ० संख्या-209/XXV-23(Part-2)/2017 , तददिनांकित

प्रतिलिपि श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारक समिति जिला हरिद्वार, निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट ओ० बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार को उनके उक्त वर्णित शिकायती पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

## संलग्नक-10

(अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र)  
कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन), हरिद्वार।

पत्र सं०:-3044 / 25-14(सू.अ.अ.) / 2017  
सेवा में,

दिनांक 05-12-2017

श्री मोबीन हसन S/O श्री नूर हसन,  
जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारक समिति, जिला हरिद्वार।  
ग्राम-लेवापुरा, पो.ओ.-विचित्रगढ़, जिला-हरिद्वार।  
विषय:- विधान सभा निर्वाचन-2017-आदर्श आचार संहिता के दौरान सरकारी अनुदान आवेदन के प्रकरण के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका अनुरोध पत्र दिनांक 23-11-2017 जो इस कार्यालय में दिनांक 27-11-2017 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-209 दिनांक 02 मार्च, 2017 जो जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को सम्बोधित है, के साथ संलग्न आपके पत्र दिनांक 22-02-2017 के सन्दर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या-1-उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई, 2-वर्तमान में क्या कार्यवाही चल रही है, की सूचना 02 बिन्दु पर चाही गई है।

उक्त पत्र के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रेषित पत्र संख्या-209 दिनांक 02 मार्च, 2017 कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, जिस कारण वांछित सूचना उपलब्ध करायी जानी सम्भव नहीं है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण आदर्श आचार संहिता की अवधि का होने के कारण उक्त प्रकरण पर अब कोई कार्यवाही किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

उपलब्ध करायी जा रही सूचना से यदि आप असन्तुष्ट हैं तो प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील दायर कर सकते हैं, जिनका नाम व पता निम्न है।  
प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम व पता  
अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा.)/  
उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।

भवदीय,

  
(पी.बी.बुधलाकोटी),  
लोक सूचना अधिकारी/  
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,  
हरिद्वार।

दूरभाष नम्बर-01334-239942



## उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

शिकायत संख्या: 12439/18(1)

शिकायत कर्ता:

श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार, निवारक समिति, जिला हरिद्वार, निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट औ0-बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार

### बनाम

प्रतिपक्षी: विभागीय अपीलीय अधिकारी/ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.

### आदेश

श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार, निवारक समिति, जिला हरिद्वार, निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट औ0-बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार द्वारा आयोग को अपना पत्र दिनांक 29.08.2017 प्रस्तुत किया है।

- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उक्त शिकायत का परीक्षण किया गया एवं परीक्षणोपरान्त पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत सक्षम विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम विभागीय अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है/ ऐसी विभागीय अपील प्रस्तुत करने के पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
- उक्त शिकायती पत्र को मूल रूप में संलग्नकों सहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वह अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत विभागीय अपील के रूप में इसे शासनादेश संख्या: 146 दिनांक 22 मार्च 2006 के अनुसंलग्नक 3 में विभागीय अपीलीय अधिकारियों से संबंधित पंजिका में पंजीकृत कर इसकी नियमानुसार सुनवाई करते हुये इसका समयबद्ध निस्तारण करें तथा ऐसे निस्तारण का प्रमाण आयोग को भी निस्तारण के एक सप्ताह के अंदर प्रेषित करें।
- इस आदेश की प्रति शिकायतकर्ता को भी पृष्ठांकित की जा रही है।

संलग्नक:- आवेदन कर्ता का शिकायती पत्र मूल रूप में समस्त संलग्नकों सहित।

(झरना कमठान)

सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून

दिनांक 14.09.17

पत्रांक 9963 / शि0रां0: 12439 / उ0रू0आ0 / 2017

प्रतिलिपि:

- विभागीय अपीलीय अधिकारी/ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
- लोक सूचना अधिकारी/ कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
- शिकायतकर्ता श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार, निवारक समिति, जिला हरिद्वार, निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट औ0-बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार को सूचनाार्थ।

-कृपया आयोग से पत्राचार करते समय आयोग द्वारा निर्धारित शिकायत संख्या/अपील संख्या का उल्लेख अवश्य करें।

कार्यालय अपीलीय अधिकारी सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, देहरादून।

अपील संख्या- 05/2018

अपीलकर्ता- श्री विनय कुमार सैनी, पुत्र श्री चमन लाल, ग्राम-ज्वाहर खान उर्फ झीवरहेडी,  
पो0-सुल्तानपुर कुन्हारी जनपद हरिद्वार।

/बनाम

उत्तरदाता:- लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय सचिवालय परिसर, देहरादून।  
आदेश

अपीलकर्ता श्री विनय कुमार सैनी, पुत्र श्री चमन लाल, ग्राम-ज्वाहर खान उर्फ झीवरहेडी, पो0-सुल्तानपुर कुन्हारी जनपद हरिद्वार के प्रार्थना पत्र दिनांक 12-01-2018 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के अर्न्तगत 2012 में सम्पन्न हुए विधान सभा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा चुनाव का ब्यौरा निर्वाचन आयोग में जमा न करने के कारण जनपद हरिद्वार में ग्राम पंचायत/जिला पंचायत के पदों पर दिसम्बर 2015-16 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने के संबंध में इस कार्यालय में तत्संबंधी शासनादेश उपलब्ध नहीं है।

उक्त संबंध में कार्यालय के पत्र संख्या-176 दिनांक 31 जनवरी, 2018 एवं पत्र संख्या- 232 दिनांक 10 जनवरी, 2018 द्वारा उक्त प्रकरण की सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित होने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु उक्त तिथियों में आप कार्यालय में उपस्थिति नहीं हुए।

यदि आप सहमत हों तो किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार संबंधित अपील का निस्तारण किया जाता है।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं  
विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या 317 /XXV-12/2015, दिनांक 27 फरवरी, 2018.

- 1- प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।
- 2- प्रतिलिपि श्री विनय कुमार सैनी, पुत्र श्री चमन लाल, ग्राम-ज्वाहर खान उर्फ झीवरहेडी, पो0-सुल्तानपुर कुन्हारी जनपद हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं  
विभागीय अपीलीय अधिकारी